भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 287

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन वाले गांव और परिवार

***287. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः**
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में राज्यवार ऐसे कुल कितने गांव और परिवार हैं जिन्हें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;
(ख) लातूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में खराब नलों या पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में उक्त मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन संबंधी कमियों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन वाले गांव और परिवार’ के संबंध में डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे और श्री निलेश ज्ञानदेव लंके द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *287 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मिशन की शुरुआत के समय में, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2026 तक, देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.73%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है (स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस)। देश के विभिन्न राज्यों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत नल कनेक्शन प्रदान किए गए परिवारों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

महाराष्ट्र में नल कनेक्शनों सहित नल कनेक्शनों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx.

महाराष्ट्र राज्य में नल जल आपूर्ति वाले परिवारों का विवरण इस प्रकार है:

#	ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या (एचएच)	10.03.2026 तक नल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	नल कनेक्शन प्रतिशत में
महाराष्ट्र	1.46 करोड़	1.32 करोड़	(90.46%)

(स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस)

महाराष्ट्र के 40,297 गांवों में से 20,377 गांवों को हर घर जल के रूप में सूचित किया गया है और 20,377 गांवों में से 14,393 गांव हर घर जल गांव प्रमाणित हैं। (स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस)

(ख): जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इस प्रकार,

जेजेएम के तहत सवालों/शिकायतों आदि पर कार्रवाई और उनका निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है।

(ग): महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन की खामियों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:

i) **वित्तीय पुनर्निर्माण** ताकि शेष निधियों की योजना-वार आवश्यकता की पहचान करने के लिए जेजेएम निधियों के वित्तीय पुनर्निर्माण की स्थिति की समीक्षा की जा सके।

ii) **सीएनओ** (भारत सरकार के केंद्रीय नोडल अधिकारी) और तकनीकी अधिकारियों की टिप्पणियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयों की पहचान करने और अनुपालन के लिए जिम्मेदारियां सौंपने के लिए साझा किया गया।

iii) **जल अर्पण दिवस का आयोजन -** समुदाय को योजना को पारदर्शी तरीके से सौंपने के लिए आयोजन, जिसमें स्थानीय सांसदों और विधायकों को आमंत्रित किया जाना अपेक्षित है।

iv) **जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू)** का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और गांवों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और सहायता प्रदान की जा सके।

v) **जल सेवा आकलन** सभी गांवों के लिए पंचायत द्वारा किया जाएगा। **जिला तकनीकी इकाई** (डीटीयू) द्वारा मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और डीडब्ल्यूएसएम द्वारा की उन पर कार्रवाई की जाएगी।

vi) **सुजलाम भारत डेटाबेस** का उपयोग जेजेएम आईएमआईएस, पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की सूचना देने के लिए किया जाएगा।

vii) **आईएमआईएस पर संसूचित आंकड़ों की समीक्षा -** मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के पूर्व अनुमोदन से जमीनी सत्यापन सुनिश्चित करना और सभी डेटा विसंगतियों को सुधारना।

viii) **लागत विभाजन -** उच्च सेवा स्तर से उद्भूत होने वाली अस्वीकार्य विभाजित लागतों से संबंधित मुद्दों को शीर्ष समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

ix) **ओ एंड एम नीति को अंतिम रूप देना** - राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार राज्य ओ एंड एम नीति की अधिसूचना के कार्य में तेजी लाना।

x) **तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए)** - जिला प्रशासनिक प्राधिकारियों की भागीदारी के साथ जेजेएम के अंतर्गत सभी कार्यों के निरीक्षण हेतु।

xi) **स्रोत और परिसंपत्ति संरक्षण परामर्श** जिला स्तर पर जारी करना ताकि पाइपलाइनों, जलाशयों और पंप हाउसों सहित जल स्रोतों तथा जेजेएम परिसंपत्तियों की संरक्षा की जा सके।

***

अनुबंध

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *287 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल परिवार**	**नल जल कनेक्शन वाले परिवार**	**नल जल कनेक्शन वाले परिवार (%)**
1	गोवा	2,63,922	2,63,922	100
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	62,037	62,037	100
3	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	85,156	85,156	100
4	हरियाणा	30,41,314	30,41,314	100
5	तेलंगाना	53,98,219	53,98,219	100
6	पुदुचेरी	1,14,969	1,14,969	100
7	गुजरात	91,18,415	91,18,415	100
8	पंजाब	34,26,808	34,26,808	100
9	हिमाचल प्रदेश	17,08,727	17,08,727	100
10	अरुणाचल प्रदेश	2,28,566	2,28,566	100
11	मिजोरम	1,33,060	1,33,060	100
12	लद्दाख	40,602	39,796	98.01
13	उत्तराखंड	14,48,312	14,18,952	97.97
14	बिहार	1,67,55,041	1,60,36,454	95.71
15	नागालैंड	3,63,829	3,44,326	94.64
16	सिक्किम	1,32,790	1,22,288	92.09
17	लक्षद्वीप	13,370	12,227	91.45
18	उत्तर प्रदेश	2,67,20,015	2,43,74,491	91.22
19	**महाराष्ट्र**	**1,46,77,681**	**1,32,78,156**	**90.46**
20	तमिलनाडु	1,25,25,747	1,12,22,829	89.6
21	कर्नाटक	1,01,30,702	87,88,756	86.75
22	त्रिपुरा	7,50,849	6,48,196	86.33
23	मेघालय	6,50,854	5,43,477	83.50
24	छत्तीसगढ़	49,96,818	41,23,524	82.52
25	असम	72,24,239	59,02,704	81.71
26	जम्मू और कश्मीर	19,25,522	15,64,272	81.24
27	मणिपुर	4,51,619	3,59,496	79.60
28	ओडिशा	88,64,271	68,48,452	77.26
29	आंध्र प्रदेश	95,53,169	71,81,576	75.17
30	मध्य प्रदेश	1,11,27,126	82,35,238	74.01
31	राजस्थान	1,07,69,040	63,02,206	58.52
32	पश्चिम बंगाल	1,75,51,180	99,50,965	56.70
33	झारखंड	62,53,187	34,51,134	55.19
34	केरल	70,77,273	38,85,035	54.89
कुल		**19,35,84,429**	**15,82,15,743**	**81.73**

(स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस)